

# कार्यालय जिला कलक्टर करौली

क्रमांक/राजस्व/2011/

दिनांक:- नवम्बर, 2011

## सम्परिवर्तन आदेश

राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी राकरा 22 पूनम विहार, जगतपुरा जयपुर जरिये सचिव व कोषाध्यक्ष के आवेदन पर उसकी खातेदारी अगिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषिक भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा सम्परिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार का नाम व पिता के नाम सहित पूरा पता	राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी राकरा 22 पूनम विहार जगतपुरा जयपुर जरिये सचिव व कोषाध्यक्ष
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनु० जनजाति का सदस्य है	नहीं
3.	सम्परिवर्तन भूमि का ब्योरा	
	क	ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम
	ख	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
	ग	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये सम्परिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)
		ग्राम नन्दीपुर ग्राम पंचायत मांचडी तहसील टोडाभीम
		ख० नं० 359 रकबा 0.28 है०
		ख० नं० 360 रकबा 0.29 है०
		ख० नं० 359 रकबा 0.28 है० में से 2800 वर्गमीटर
		ख० नं० 360 रकबा 0.29 है० में से 2100 वर्गमीटर
4.	सम्परिवर्तन का प्रयोजन	शिक्षण प्रयोजनार्थ संस्थागत सम्परिवर्तन
5.	संदेय सम्परिवर्तन प्रभारों की दर	10 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से
6.	चालान की संख्या और तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम	चा.नं. 72 दि० 12.09.2011 राशि 24,975/रु० मद 0029 भू-राजस्व में। चा.नं. 73 दि० 12.09.2011 राशि 24,975/रु० मद 8448 में।
7.	चालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
8.	चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
9.	क्या आदेश विनियमितीकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं
10.	अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो	1. राष्ट्रीय रोड कांग्रेस के मापदण्डानुसार सा.नि.वि. की रोड के मध्य से 50 फिट छोड़कर ही निर्माण किया जाये। 2. सम्परिवर्तन नियम 2007 के नियम 9(2) के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत (संलग्न) ले आऊट प्लान के अनुसार निर्माण कार्य किया जाये।

### 11. उपर्युक्त सम्परिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

- उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये भूमि संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर सम्परिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा, जमा कराई प्रीमियम धन राशि समपहृत हो जायेगी।
- नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- लोकप्रयोगी प्रयोजन के लिये सम्परिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमाम्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू भाग सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में आरक्षित रखा जावेगा।

— 501 —  
जिला कलक्टर  
करौली

क्रमांक/राजस्व/2011/ 5426-31  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूघनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- उप जिला कलक्टर टोडाभीम।
- तहसीलदार टोडाभीम को राजस्व रिकार्ड में आवश्यक प्रविष्टि हेतु।
- जिला राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा।
- सचिव, ग्राम पंचायत मांचडी पंचायत समिति टोडाभीम जरिये तहसीलदार टोडाभीम।
- सचिव राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी 22 पूनम विहार जगतपुरा जयपुर।
- रक्षित पत्रायली।

दिनांक:- 25 नवम्बर, 2011

जिला कलक्टर  
करौली